बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित) (Sponsored by Bank of Baroda)

प्रका/अग्रिम/2020–21/860 दिनांक 05.01.2021

पत्र सभी शाखाओं एवं कार्यालयों के लिये

महोदय,

विषय : पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना अन्तर्गत "मैं भी डिजिटल" अभियान दिनांक 04.01.2021 से 22.01.2021 तक

प्रधान कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या प्रका/अग्रिम–2/08/222 दिनांक 19.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से बैंक में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के विस्तृत दिशा निर्देश परिचालित किये गये है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा पत्र क्रमांक ज.अं./एस.एल.बी.सी./2020-21/1079 दिनांक 02.01.2021 के माध्यम से सूचित किया गया है कि **दिनांक** 04.01.2021 **से दिनांक** 22.01.2021 **तक** भारत सरकार द्वारा **पीएम-स्वनिधि योजनान्तर्गत "मैं भी डिजिटल" अभियान शुरू** किया गया है। उक्त अभियान के तहत् क्षेत्रीय कार्यालय एवं सम्बन्धित शाखाओं द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है –

1. 31 दिसम्बर 2020 तक लाभान्वित सभी स्ट्रीट वेंडर्स को उक्त अभियान में शामिल किया जाना है।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तीन पूर्ण कार्यदिवस यथा दिनांक 05.01.2021 से दिनांक 07.01.2021 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जिसके अन्तर्गत सभी पात्र ऋणियों से 1 रूपये का पेन्नी ड्रॉप ट्राज़ैक्शन करवाकर उन्हे डिजिटल लेनदेन के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना है।
3. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्राधीन शाखाओं में दिनांक 04.01.2021 से दिनांक 22.01.2021 तक यूएलबी के सहयोग से शाखाओं द्वारा लाभान्वित सभी ऋण लाभार्थियों को पेन्नी ड्रॉप ट्राज़ैक्शन (Penny Drop Transactions) करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. शाखाओं में स्वीकृति हेतु लम्बित सभी ऋण आवेदन पत्रों का शत–प्रतिशत निस्तारण कर सभी खातों में दिनांक 22.01.2020 से पूर्व ऋण वितरित करते हुए क्यूआर कोड/UPI ID जारी करवाना एवं पेन्नी ड्रॉप ट्राज़ैक्शन करवाना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्षेत्राधीन शाखाओं की प्रगति की सूचना प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार (अवकाश की स्थिति में शुक्रवार) को अग्रणी जिला प्रबन्धक को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए लम्बित आवेदन पत्रों का दिनांक 15.01.2021 तक निस्तारण तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(रवि गोयल)
महाप्रबन्धक

प्रधान कार्यालय : प्लाट नं. 2343, द्वितीय तल, आनासागर सरकुलर रोड, वैशाली नगर, अजमेर – 305 004
Head Office : Plot No. 2343, Second Floor, Aanasagar Circular Road, Vaishali Nagar, Ajmer - 305 004
फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax:0145-2642603